राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक :प.1(2)न्याय/2015 जयपुर, दिनांक:12.5.15

-: **अधिसूचना** :-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा 1, धारा 10 की उपधारा 1 एवं धारा 16 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्द्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन कार्यो को शीघ्र निपटानें हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	*अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय का नाम*	*बैठक का स्थान*
1.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, बालोतरा	अपर जिला न्यायाधीश, सं.-2 बाड़मेर	बाड़मेर
2.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, सिरोही	अपर जिला न्यायाधीश, सं.- 2 आबूरोड़	आबूरोड़
3.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, मेड़ता	अपर जिला न्यायाधीश, सं.-2, नागौर	नागौर
4.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, अलवर	अपर जिला न्यायाधीश, सं.-2, तिजारा	तिजारा
5.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ	अपर जिला न्यायाधीश, सं.- 2, निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा
6.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, पाली	अपर जिला न्यायाधीश, पाली	पाली
7.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, झालावाड़	अपर जिला न्यायाधीश, भवानीमंडी	भवानीमंडी
8.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, डुंगरपुर	अपर जिला न्यायाधीश, सागवाड़ा	सागवाड़ा
9.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, मेड़ता	अपर जिला न्यायाधीश, मेड़ता	मेड़ता
10.	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला	अपर जिला न्यायाधीश, जोधपुर जिला	जोधपुर जिला

साथ ही वर्तमान में कार्यरत अपर जिला न्यायाधीश बाड़मेर, अपर जिला न्यायाधीश आबूरोड़, अपर जिला न्यायाधीश नागौर, अपर जिला न्यायाधीश तिजारा व अपर जिला न्यायाधीश निम्बाहेड़ा का नाम परिवर्तित कर अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 बाड़मेर, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, आबूरोड़, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, नागौर, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, तिजारा व अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, निम्बाहेड़ा किया जाता है।

नोट:- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय, अध्यादेश, 1950, की धारा 10 (3) एवं 7(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा। एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 (3) के तहत अपर सेशंन न्यायाधीश का क्षैत्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
सही/-
प्रमुख शासन सचिव

::राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ::

क्रमांक/सामान्य/।।/9/92(S)/ 623 दिनांक 16/05/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ,जयपुर।
2. रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) रा.उ.न्या. जोधपुर को इस निवेदन के साथ कि उक्त अधिसूचना की प्रति उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावें।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
4. संबंधित अपर जिला न्यायाधीश।
5. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
6. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय शाखा/ स्था.रा.न्या.से./ अधी.न्यायालय स्था./ सांख्यिकी/ बजट/ भवन/ अंक मिलान लिपिक/ कम्प्युटर सेल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

16/5/15
रजिस्टार(नियम)